



बिहार लोक सेवा आयोग  
15, नेहरू पथ (बेली रोड), पटना -800001

आवश्यक सूचना

विज्ञापन सं.-02/2026, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना के अंतर्गत बिहार वन सेवा के मूल कोटि के सहायक वन संरक्षक के कुल-12 (बारह) रिक्त पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु सुयोग्य भारतीय उम्मीदवार जो स्वस्थ एवं सुगठित शरीर के हों एवं बिहार वन सेवा के एक सदस्य के रूप में दक्षतापूर्वक कर्तव्य पालन करने में बाधा डालने वाली शारीरिक विकलांगता (दिव्यांगता) से मुक्त हों, से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।

2. ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से संबंधित तिथि एवं अन्य निर्देश निम्नांकित हैं:-

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| ऑनलाइन आवेदन प्रारम्भ करने की तिथि | 12.01.2026 |
| ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि    | 02.02.2026 |

- उपर्युक्त विज्ञापन के संबंध में विस्तृत सूचना/विवरणी/जानकारी एवं ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु निर्देश आयोग के वेबसाइट [www.bpsc.bihar.gov.in](http://www.bpsc.bihar.gov.in) पर प्रदर्शित है।
- अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया प्रारम्भ करने के पूर्व वेबसाइट पर प्रदर्शित विस्तृत विज्ञापन एवं ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु आवश्यक एवं विस्तृत निर्देश का भली-भाँति अध्ययन कर लेंगे।

*12/01/26*

परीक्षा नियंत्रक,  
बिहार लोक सेवा आयोग, पटना।



**बिहार लोक सेवा आयोग**  
**15, नेहरू पथ (बेली रोड), पटना - 800001**

विज्ञापन सं.-02/2026, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना के अंतर्गत बिहार वन सेवा के मूल कोटि के सहायक वन संरक्षक के कुल-12 (बारह) रिक्त पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु सुयोग्य भारतीय उम्मीदवार जो स्वस्थ एवं सुगठित शरीर के हों एवं बिहार वन सेवा के एक सदस्य के रूप में दक्षतापूर्वक कर्तव्य पालन करने में बाधा डालने वाली शारीरिक विकलांगता (दिव्यांगता) से मुक्त हों, से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन हेतु विस्तृत दिशा निर्देश बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के वेबसाइट [www.bpsc.bihar.gov.in](http://www.bpsc.bihar.gov.in) पर प्रदर्शित है। इन रिक्त पदों की कोटिवार विवरणी निम्नवत है:-

| क्र.सं. | कोटि                     | अनुमान्य पदों की कुल संख्या | 35% क्षैतिज आरक्षण के फलस्वरूप महिलाओं के लिए अनुमान्य पदों की कुल संख्या |
|---------|--------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1.      | अनारक्षित                | 03                          | 01                                                                        |
| 2.      | आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग | 01                          | 00                                                                        |
| 3.      | अनुसूचित जाति            | 01+(01 पद बैकलॉग)<br>=02    | 00                                                                        |
| 4.      | अनुसूचित जनजाति          | 00                          | 00                                                                        |
| 5.      | अत्यन्त पिछड़ा वर्ग      | 02 +(02 पद बैकलॉग)<br>=04   | 00                                                                        |
| 6.      | पिछड़ा वर्ग              | 01 (बैकलॉग)                 | 00                                                                        |
| 7.      | पिछड़े वर्ग की महिलाएँ   | 01                          | 00                                                                        |
| कुल     |                          | 12                          | 01                                                                        |

नोट:- (i) ऐसे सरकारी सेवक जो इस पद के लिए योग्य हों, वे अपना आवेदन बिहार सरकारी सेवक (पदों के लिए आवेदन) नियमावली 1951 के तहत विहित प्राधिकृत पदाधिकारी के माध्यम से देंगे।

(ii) अध्याची विभाग द्वारा प्राप्त अध्याचना में संशोधन होने पर प्रकाशित रिक्तियों की संख्या घट-बढ़ सकती है।

2. वेतनमान:- पुनरीक्षित लेवल-9

3. शैक्षणिक योग्यता :- मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय या समकक्ष से कम से कम एक विषय यथा-वनस्पति शास्त्र, रसायन शास्त्र, वानिकी, भू-गर्भ शास्त्र, गणित, भौतिकी, सांख्यिकी एवं प्राणी विज्ञान के साथ स्नातक की डिग्री धारक या कृषि में स्नातक या अभियांत्रिकी में स्नातक डिग्रीधारक होना चाहिए।

A candidate must hold a Bachelor's degree with at least one of the subjects namely Botany, Chemistry, Forestry, Geology, Mathematics, Physics, Statistics and Zoology or a Bachelor's degree in Agriculture or in Engineering of any recognized University or equivalent.

4. उम्र सीमा - 01.08.2025 को न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम अनारक्षित (पुरुष)- 37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग (पुरुष एवं महिला) एवं अनारक्षित महिला-40 वर्ष एवं अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (पुरुष एवं महिला)-42 वर्ष।

वन प्रक्षेत्र पदाधिकारी के रूप में वनों के क्षेत्र पदाधिकारी के लिए सम्बर्ग नियमावली में यथा विहित प्रशिक्षित उम्मीदवारों को अधिकतम उम्र सीमा में पांच वर्षों की छूट अनुमान्य है।

(i) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के पत्रांक-212, दिनांक- 23.01.2006 के आलोक में वैसे उम्मीदवार जो अंतिम विज्ञापन/परीक्षा के समय उम्र के आधार पर पात्रता रखते थे, जो दिनांक-01.08.2020 से 01.08.2025 तक उपर्युक्त वर्णित अधिकतम उम्र सीमा के आधार पर पात्रता रखते हैं, भी प्रस्तुत विज्ञापन के लिए सुपात्र होंगे, बशर्ते वे अन्य अर्हताएँ पूरी करते हों।

(ii) सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापक-22218, दिनांक-12.12.2022 के आलोक में बिहार सरकार के नियमित रूप से नियुक्त सरकारी सेवकों को प्रतियोगिता परीक्षाओं में भाग लेने के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 05 (पाँच) वर्ष की छूट अनुमान्य है, परन्तु उक्त आयु सीमा की छूट की अवधि में प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने की अनुमति तभी दी जा सकेगी जब उनके द्वारा तबतक अधिकतम 05 (पाँच) अवसरों का उपभोग नहीं किया गया हो। बिहार सरकार के सरकारी सेवक को आयु सीमा में छूट का दावा करने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।

बिहार सरकार के सरकारी सेवकों को सेवा में आने के उपरान्त उनकी पूरी सेवा अवधि में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षाओं (संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा एवं अन्य परीक्षाओं को मिलाकर) में अधिकतम कुल 05 (पाँच) अवसर ही अनुमान्य होंगे। उपर्युक्त निर्धारित

/

पाँच अवसरों की गणना संकल्प निर्गत होने की तिथि 12.12.2022 के बाद से प्रारम्भ होगी। पूर्व में उपभोग कर लिये गये अवसरों की एतदर्थ उपेक्षा की जाएगी।

- (iii) सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र के आलोक में भूतपूर्व सैनिकों को उम्र सीमा में 03 (तीन) वर्ष तथा प्रतिरक्षा सेवा में बितायी गयी सेवा अवधि के योग के समतुल्य रियायत दी जायेगी, बशर्ते कि उनकी वास्तविक उम्र आवेदन देने की तिथि को 57 वर्ष से अधिक नहीं हो।

भूतपूर्व सैनिकों को उम्र सीमा में छूट का दावा करने की स्थिति में तत्संबंधी प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।

5. चयन प्रक्रिया:— लिखित परीक्षा, शारीरिक जाँच एवं साक्षात्कार के आधार पर।

लिखित परीक्षा के लिए निम्नलिखित विषय होंगे। भाषा को छोड़कर सभी विषयों के उत्तर हिन्दी या अंग्रेजी में दिए जा सकते हैं।

(क) अनिवार्य विषय :—

| क्र.सं. | अनिवार्य विषय                                 | पाठ्यक्रम                                                                                                                                                                     | पूर्णांक              | परीक्षा की अवधि (घंटों में) | परीक्षा की प्रकृति |
|---------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------|
| 1       | 2                                             | 3                                                                                                                                                                             | 4                     | 5                           | 6                  |
| 1.      | सामान्य हिन्दी                                | बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की दसवीं (माध्यमिक) स्तर का होगा। उक्त पाठ्यक्रम आयोग के वेबसाइट <a href="http://www.bpsc.bihar.gov.in">www.bpsc.bihar.gov.in</a> पर उपलब्ध हैं। | 50<br>अर्हतांक 20 अंक | 1:30                        | विषयनिष्ठ          |
| 2.      | अंग्रेजी                                      | उक्त पाठ्यक्रम आयोग के वेबसाइट <a href="http://www.bpsc.bihar.gov.in">www.bpsc.bihar.gov.in</a> पर उपलब्ध हैं।                                                                | 50<br>अर्हतांक 20 अंक | 1:30                        | विषयनिष्ठ          |
| 3.      | सामान्य ज्ञान (सामयिक घटनाओं की जानकारी सहित) | पाठ्यक्रम आयोग के वेबसाइट <a href="http://www.bpsc.bihar.gov.in">www.bpsc.bihar.gov.in</a> पर उपलब्ध हैं।                                                                     | 100                   | 2:00                        | वस्तुनिष्ठ         |
| 4.      | वानिकी एवं पर्यावरण                           | इन्टर स्तरीय (+2) CBSE/ ICSE BOARD का पाठ्यक्रम होगा। उक्त पाठ्यक्रम आयोग के वेबसाइट <a href="http://www.bpsc.bihar.gov.in">www.bpsc.bihar.gov.in</a> पर उपलब्ध हैं।          | 50                    | 1:30                        | वस्तुनिष्ठ         |

नोट:—अनिवार्य विषय के अन्तर्गत सामान्य हिन्दी (50 अंक) एवं अंग्रेजी (50 अंक) में 20—20 अंक अर्हतांक (Qualifying) है, जिसे प्राप्त करना अनिवार्य होगा, लेकिन मेधा सूची तैयार करने में उसकी गणना नहीं की जाएगी।

- (ख) ऐच्छिक विषय :— निम्नलिखित ऐच्छिक विषयों में से किन्हीं दो विषयों का चयन किया जाना अनिवार्य होगा, जिनमें प्रत्येक विषय का पूर्णांक 150 होगा एवं प्रत्येक विषय में दो पत्र होंगे, प्रत्येक का पूर्णांक 75 अंक होगा तथा प्रत्येक पत्र में परीक्षा की अवधि 1:30 घंटे की होगी। इन ऐच्छिक विषयों की परीक्षा विषयनिष्ठ प्रकृति की होगी:—

| क्र.सं. | ऐच्छिक विषय                      | विषयों के मानक पाठ्यक्रम                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | उम्मीदवारों को निम्नलिखित विषय संयोजन लेने की अनुमति नहीं है                                                                                                                                                                      |
|---------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | 2                                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.      | पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विज्ञान | 1.सभी ऐच्छिक विषयों के मानक स्नातक डिग्री स्तर के होंगे।<br>2.सभी ऐच्छिक विषयों के पाठ्यक्रम संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली द्वारा भारतीय वन सेवा परीक्षा के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम होंगे। उक्त पाठ्यक्रम बिहार लोक सेवा आयोग के वेबसाइट <a href="http://www.bpsc.bihar.gov.in">www.bpsc.bihar.gov.in</a> पर भी उपलब्ध हैं। | (क) कृषि एवं कृषि अभियंत्रण;<br>(ख) कृषि एवं वानिकी;<br>(ग) कृषि एवं पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विज्ञान;<br>(घ) रसायन शास्त्र एवं रासायनिक अभियंत्रण;<br>(च) गणित एवं सांख्यिकी;<br>(छ) अभियंत्रण के विषयों में से एक से अधिक नहीं। |
| 2.      | कृषि                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3.      | कृषि अभियांत्रिकी                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4.      | वनस्पति शास्त्र                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5.      | जन्तु शास्त्र                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                   |
| 6.      | गणित                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7.      | रसायन शास्त्र                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8.      | भौतिकी                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                   |
| 9.      | भू-गर्भ शास्त्र                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                   |
| 10.     | यांत्रिकी अभियंत्रण              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                   |
| 11.     | सिविल अभियंत्रण                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                   |
| 12.     | रसायनिक अभियंत्रण                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                   |
| 13.     | सांख्यिकी                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                   |
| 14.     | वानिकी                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                   |

- (ग) (i) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के संकल्प संख्या 2374, दिनांक 16.07.2007 एवं सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के संकल्प ज्ञापांक-962, दिनांक-22.01.2021 के आलोक में किये गए प्रावधान के अनुसार लिखित परीक्षा में अनारक्षित 40 (चालीस) प्रतिशत, पिछड़ा वर्ग 36.5 (साढ़े छत्तीस) प्रतिशत, अत्यन्त



पिछड़ा वर्ग 34 (चौतीस) प्रतिशत, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए 32 (बत्तीस) प्रतिशत न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

(ii) लिखित परीक्षा में सफल कोटिवार रिवित के दस गुणा उम्मीदवारों को शारीरिक जाँच हेतु चुना जाएगा, उन चुने गए उम्मीदवारों को आयोग द्वारा आयोजित शारीरिक जाँच से गुजरना होगा। शारीरिक जाँच में सफल उम्मीदवारों को ही साक्षात्कार हेतु बुलाया जाएगा।

(iii) इस विज्ञापन के अन्तर्गत पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है।

➤ शारीरिक जाँच हेतु निम्नलिखित न्यूनतम मानदण्ड विहित हैं:—

|                                | अनु. जाति/अनु. जनजाति के उम्मीदवारों के लिए | अन्य उम्मीदवारों के लिए |
|--------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|
| ऊँचाई (पुरुष)                  | 152.5 से. मी.                               | 163 से. मी.             |
| ऊँचाई (महिला)                  | 145 से. मी.                                 | 150 से. मी.             |
| सभी कोटि के उम्मीदवारों के लिए |                                             |                         |
| सीना (बिना फुलाए) पुरुष        | 79 से.मी.<br>(05 से.मी.) फुलाना             |                         |
| सभी कोटि के उम्मीदवारों के लिए |                                             |                         |
| पैदल चलना (पुरुष)              | 4 घंटे में 25 कि.मी.                        |                         |
| पैदल चलना (महिला)              | 4 घंटे में 14 कि.मी.                        |                         |

(घ) साक्षात्कार :- 50 अंक।

लिखित परीक्षा एवं शारीरिक जाँच में सफल अभ्यर्थी को साक्षात्कार में उपस्थित होना अनिवार्य होगा। अन्यथा वे अंतिम परीक्षाफल हेतु बनाये जाने वाले मेधा सूची से बाहर हो जायेंगे।

6. मेधा सूची:- लिखित परीक्षा के प्राप्तांक एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंक को जोड़कर मेधा सूची तैयार की जायेगी। लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के प्राप्तांक समान होने की स्थिति में ऐच्छिक पत्र के प्राप्तांक के अनुसार मेधाक्रम निर्धारित होगा। ऐच्छिक पत्र का प्राप्तांक समान होने की स्थिति में उम्मीदवार की जन्मतिथि के आधार पर अधिक उम्र वाले उम्मीदवार को मेधाक्रम में ऊपर स्थान दिया जायेगा तथा जन्मतिथि समान होने पर जिस उम्मीदवार का नाम देवनागरी लिपि में वर्णमाला के अनुसार पहले आता हो, उन्हें मेधाक्रम में ऊपर रखा जायेगा। इस प्रकार अंतिम मेधा सूची तैयार की जायेगी।

7. आरक्षण:-

(i) ऑनलाइन आवेदन पत्र में इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा एवं आरक्षण का लाभ राज्य सरकार के प्रचलित आरक्षण नियमों के अनुसार और राज्य सरकार के सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर ही देय होगा।

(ii) आरक्षण का लाभ बिहार के मूल निवासी को देय है।

(iii)(A) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को निम्नांकित प्रमाण-पत्र जमा करना अनिवार्य होगा:-

(a) जाति प्रमाण-पत्र

(b) स्थायी निवास/मूल निवास प्रमाण-पत्र

(B) पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।

पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग की दशा में, अपने स्थायी निवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अंचल स्तर पर अधिसूचित राजस्व अधिकारी/अंचल पदाधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र मान्य होगा।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की दशा में, अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत स्थायी निवास प्रमाण-पत्र/मूल निवास प्रमाण-पत्र एवं जाति प्रमाण-पत्र मान्य होगा।

आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं का जाति/स्थायी निवास/क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र उनके पिता के नाम एवं पिता के स्थायी पता से निर्गत होना चाहिए न कि उनके पति के नाम एवं पता से।

(iv) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार की अधिसूचना संख्या- 2622, दिनांक- 26.02.2019 एवं पत्रांक-12123, दिनांक- 23.06.2023 के आलोक में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षण का लाभ बिहार अधिनियम, 15/2023 के आलोक में राज्य के मूल निवासियों (पुरुष/महिला) को ही देय होगा। उक्त पत्रों के आलोक में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए इस विज्ञापन में वर्णित रिवित के अनुसार 10% आरक्षण का लाभ लेने हेतु आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जानेवाला आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण पत्र उपर्युक्त अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची-1 (प्रपत्र-1) में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत होना चाहिए अन्यथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को देय आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। यह प्रावधान राज्य में लागू अन्य किसी नियम के द्वारा विभिन्न आरक्षित कोटि के लिए विहित आरक्षण के अतिरिक्त होगी परंतु राज्य से बाहर के अभ्यर्थी इस नियम के अधीन आरक्षण का लाभ हेतु दावा नहीं करेंगे। विवाहित महिला के पक्ष में आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के पति के साथ रहने की स्थिति में उनके पति के स्थायी निवास (अंचल) से निर्गत होगा, परन्तु इस विवाहित महिला को अपने पिता के स्थायी निवास के आधार पर निर्गत आवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, जिससे स्पष्ट हो जाय कि

विवेचित विवाहित महिला बिहार राज्य की मूल निवासी हैं। आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र (EWS) निर्गत होने की तिथि से अगले एक वर्ष के लिए मान्य होगा।

- (v) आरक्षित कोटि के उम्मीदवार अपनी जाति के अनुरूप पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात् ही आरक्षित कोटि का अंकन ऑनलाइन आवेदन के संबंधित कॉलम में करेंगे एवं ऑनलाइन आवेदन भरते समय उनके पास आरक्षण कोटि के अनुरूप सक्षम प्राधिकार से निर्गत प्रमाण-पत्र उपलब्ध होना अनिवार्य होगा। अन्यथा आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा।

आरक्षित कोटि निम्नवत् है :-

| क्र.सं. | आरक्षित कोटि                                           | ऑनलाइन आवेदन में आरक्षित कोटि | कोटि कोड |
|---------|--------------------------------------------------------|-------------------------------|----------|
| 1.      | अनारक्षित (Unreserved)                                 | UR                            | 01       |
| 2.      | अनुसूचित जाति (Scheduled Caste)                        | SC                            | 02       |
| 3.      | अनुसूचित जनजाति (Scheduled Tribe)                      | ST                            | 03       |
| 4.      | अत्यंत पिछड़ा वर्ग (Extremely Backward Class)          | EBC                           | 04       |
| 5.      | पिछड़ा वर्ग (Backward Class)                           | BC                            | 05       |
| 6.      | पिछड़े वर्ग की महिला (Backward Class ladies)           | BCL                           | 06       |
| 7.      | आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (Economically Weaker Section) | EWS                           | 07       |

- (vi) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के संकल्प ज्ञापांक-12575, दिनांक-09.07.2025 के आलोक में संपूर्ण रूप से राज्य की मूल निवासी (आरक्षित वर्ग के साथ गैर आरक्षित वर्ग को भी) महिलाओं को ही इस विज्ञापन में वर्णित रिक्ति के अनुसार 35% क्षैतिज आरक्षण देय होगा।

- (vii) सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापांक- 16144, दिनांक-28.11.2012 में निहित प्रावधान के आलोक में नियुक्ति/प्रोन्नति/नामांकन की प्रक्रिया के बीच किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता है।

उपर्युक्त आरक्षण संबंधी सभी प्रमाण-पत्र आयोग कार्यालय में दस्तावेज सत्यापन/साक्षात्कार के समय मूल रूप से प्रस्तुत नहीं करने पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।

सभी वांछित प्रमाण पत्र इस विज्ञापित पद हेतु ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि- 02.02.2026 तक का होना आवश्यक है। आवेदन भरने की अंतिम तिथि के पश्चात् निर्गत प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। यदि परिस्थिति के अनुरूप आवेदन भरने की अंतिम तिथि का विस्तार किया जाता है, तो उससे अर्हता संबंधी कोई भी अंतिम तिथि विस्तारित अथवा प्रभावित नहीं होगी।

नोट:- (a) ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में अभ्यर्थियों से कतिपय सूचना सिर्फ डाटाबेस संधारित करने हेतु ली जाती है। अगर उक्त सूचना से संबंधित किसी प्रकार का छूट विज्ञापन में अंकित नहीं है, तो उसका दावा न तो मान्य होगा और न ही उसका लाभ देय होगा। विज्ञापन में वर्णित सूचनाएँ/शर्त/जानकारी/किसी प्रकार की छूट ही अंतिम रूप से मान्य होगा।

- (b) अभ्यर्थियों को आयोग द्वारा दस्तावेज सत्यापन/साक्षात्कार के समय सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों की मूल प्रतियाँ सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा-

- मैट्रिक अथवा समकक्ष का प्रमाण-पत्र (जन्म तिथि के साक्ष्य के लिए)।
- विज्ञापन की कंडिका-3 शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप सक्षम प्राधिकार के द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र।
- विज्ञापन की कंडिका-3 शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप अंक प्रमाण पत्र।
- महाविद्यालय/संस्थान जहाँ से उम्मीदवार ने अंतिम अध्ययन किया हो, द्वारा निर्गत चरित्र एवं आचरण का प्रमाण पत्र।
- वन प्रक्षेत्र पदाधिकारी के रूप में वनों के क्षेत्र पदाधिकारी के लिए सम्बर्ग नियमावली में यथा विहित प्रशिक्षित उम्मीदवार की दशा में अपने नियंत्री पदाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र।
- पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र (महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र)।
- अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए जाति एवं स्थायी निवास प्रमाण पत्र (महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत जाति एवं स्थायी निवास प्रमाण पत्र)।
- अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए जाति एवं स्थायी निवास प्रमाण पत्र (महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत जाति एवं स्थायी निवास प्रमाण पत्र)।
- बिहार राज्य के स्थायी निवासी अनारक्षित वर्ग के महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत स्थायी निवास प्रमाण पत्र।
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) का दावा करने वाले आवेदक, बिहार सरकार के अधिसूचना संख्या-2622, दिनांक- 26.02.2019 के आलोक में विहित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत तत्संबंधी प्रमाण-पत्र (आवेदन करते समय उक्त प्रमाण पत्र वैध होना चाहिए)।

4

- (xi) बिहार सरकार के सरकारी सेवक को आयु सीमा में छूट का दावा करने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र।
- (xii) भूतपूर्व सैनिकों को उम्र सीमा में छूट का दावा करने की स्थिति में तत्संबंधी प्रमाण पत्र।
- (xiii) केन्द्र सरकार, बिहार सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार के अधीन किसी भी पद पर नियुक्त हो, तो सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र (No Objection Certificate)।
- (xiv) पहचान पत्र (फोटोयुक्त), जैसा कि आवेदन में दावा किया हो।
- (xv) हाल का खिंचा हुआ 4 पासपोर्ट आकार का (चार) फोटो।
- (xvi) लिखित परीक्षा के लिए भरे एवं डाउनलोड किये गये आवेदन की प्रति।

उपर्युक्त प्रमाण-पत्र दस्तावेज सत्यापन/साक्षात्कार के समय मूल में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि कोई अभ्यर्थी सत्यापन के समय अपूर्ण/त्रुटिपूर्ण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है तो उसे त्रुटि सुधार का एक अंतिम अवसर दिया जायेगा। यदि निर्दिष्ट अवधि के बाद भी अभ्यर्थी सही प्रमाण-पत्र नहीं समर्पित कर पाते हैं, तो उपलब्ध साक्ष्य के गुण दोष के आधार पर इस चयन प्रक्रिया/परीक्षा के प्रारंभ से लेकर अब तक के प्रत्येक चरण में उसकी पात्रता की जांच कर तथा सभी चरणों में योग्य एवं सफल पाए जाने पर ही उसे अंतिम रूप से सफल माना जायेगा।

8. शुल्क:-

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के संकल्प ज्ञापांक-15568, दिनांक-21.08.2025 के आलोक में प्रत्येक अभ्यर्थी को मात्र 100/- (एक सौ रुपये) परीक्षा शुल्क जमा किया जाना है।

अभ्यर्थी को उपर्युक्त परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त विभिन्न बैंकों द्वारा निर्धारित चार्ज भी देना होगा, जिसे ऑनलाइन भुगतान के क्रम में बैंक द्वारा स्वतः बैंक चार्ज के रूप में ले लिया जाएगा।

नोट:-वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में पहचान पत्र के रूप में आधार संख्या (Aadhaar No.) अंकित नहीं किया जाता है, उन्हें Biometric fee के रूप में 200/- (दो सौ) रुपये अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करना होगा।

9. ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से संबंधित तिथि एवं अन्य निर्देश निम्नांकित हैं:- (i)

|    |                                    |            |
|----|------------------------------------|------------|
| 1. | ऑनलाइन आवेदन प्रारम्भ करने की तिथि | 12.01.2026 |
| 2. | ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि    | 02.02.2026 |

(ii) उम्मीदवारों को आवेदन पत्र एवं संबंधित कागजातों की हार्ड कॉपी आयोग कार्यालय में भेजने की आवश्यकता नहीं है। अभ्यर्थी द्वारा स्वतः हार्ड कॉपी में आवेदन या कोई पूरक कागजात यदि दिया जाता है तो वह हार्ड कॉपी आवेदन/कागजात और उसके आधार पर किया गया कोई दावा अनुमान्य नहीं होगा।

(iii) अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन में भरे गये शैक्षणिक योग्यता एवं आरक्षण संबंधी दावों को सत्य मानते हुए परीक्षा आयोजित करने की कार्यवाही की जायेगी। ऑनलाइन आवेदन में भरे गये प्रमाण पत्रों की प्रारम्भिक जाँच और मूल प्रमाण पत्रों से मिलान सिर्फ दस्तावेज सत्यापन/साक्षात्कार के समय ही किया जायेगा। इसके पूर्व इसकी जाँच सामान्यतया नहीं होगी और बाद में जाँच में प्रमाण-पत्र सही नहीं पाये जाते हैं, अथवा अभ्यर्थी द्वारा दिया गया तथ्य/साक्ष्य गलत/त्रुटिपूर्ण पाया जाता है तो अभ्यर्थी का आवेदन रद्द हो जायेगा और इस पर आयोग का निर्णय अंतिम होगा और उस पर अभ्यर्थी को कोई आपत्ति नहीं होगी। साथ ही इस कारण अभ्यर्थी को वर्तमान और भविष्य के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकेगा जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी अभ्यर्थी की ही होगी।

(iv) ऑनलाइन आवेदन भरने से संबंधित आवश्यक (विस्तृत) निर्देश आयोग के आधिकारिक वेबसाइट [www.bpsc.bihar.gov.in](http://www.bpsc.bihar.gov.in) पर प्रदर्शित है।

अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरने के पूर्व उक्त दिशा निर्देशों का भली भाँति अध्ययन कर लेंगे तथा ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में सभी सूचनाएँ सही-सही एवं सुस्पष्ट अंकित करेंगे।

10. ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया:-

A. One Time Registration (OTR)

- (i) BPSC की विभिन्न परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए बिहार लोक सेवा आयोग के वेबसाइट <https://bpsconline.bihar.gov.in> पर One Time Registration (OTR) करना अनिवार्य है।
- (ii) OTR करने के लिए अभ्यर्थी New user Registration Button पर Click करेंगे।
- (iii) भविष्य में आयोग द्वारा प्रकाशित होने वाले सभी विज्ञापनों हेतु उक्त OTR ही मान्य होगा।
- (iv) OTR किसी भी परीक्षा के लिए आवेदन नहीं है। यह केवल आवेदकों से जानकारी एकत्र करना और प्रत्येक आवेदक को अपनी प्रोफाइल बनाए रखने की सुविधा के लिए एक अलग डैशबोर्ड देना है।
- (v) OTR करने के लिए वैध सक्रिय ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अनिवार्य है। अपने ईमेल के Inbox या Spam में अपना ईमेल OTP देखें।

- (vi) जो उम्मीदवार BPSC द्वारा विज्ञापित किसी भी परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें OTR में दिए गए पासवर्ड का ही उपयोग होगा।
- (vii) एक से अधिक OTR पंजीकरण की अनुमति नहीं है। इससे आपका आवेदन अस्वीकृत/रद्द हो सकता है।
- (viii) जिन अभ्यर्थियों ने पूर्व में ऑनलाइन पोर्टल से आवेदन करते समय One Time Registration (OTR) कराया है, वे भी नए पोर्टल पर नये सिरे से OTR प्रक्रिया पूरी करना सुनिश्चित करेंगे।
- (ix) ऑनलाइन आवेदन के डैशबोर्ड तक पहुंचने के लिए अभ्यर्थी अपने मोबाईल नं./ईमेल.आई.डी. एवं अभ्यर्थी द्वारा बनाये गये पासवर्ड से URL: <https://bpsconline.bihar.gov.in/candidate/login> पर Login करेंगे।

नोट:-

- (i) OTR के क्रम में भरे गये अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, लिंग, आधार संख्या व जन्मतिथि में परिवर्तन और सुधार करने का कोई प्रावधान नहीं होगा।
- (ii) आवेदक को आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज अनिवार्य रूप से अपलोड करने की आवश्यकता होगी, जिसे Digilocker Account के माध्यम से अपलोड किया जा सकता है।

#### **B. INSTRUCTIONS FOR DIGILOCKER ACCOUNT:-**

- (i) OTR की प्रक्रिया पूर्ण होने के साथ ही Digilocker का Meri Pehchan Portal खुल जायेगा। जिन अभ्यर्थियों के पास Digilocker का Account उपलब्ध है, तो Digilocker Account का Consent OAMS को देते हुए Sign in करना होगा एवं अगर आवेदक के पास Digilocker का Account उपलब्ध नहीं है, तो New Sign up करते हुए Digilocker Account Create कर सकते हैं एवं Digilocker का Consent OAMS को देते हुए आगे की प्रक्रिया पूर्ण करेंगे।
- (ii) यदि आवेदक ने पहले ही डिजिलॉकर पर दस्तावेज अपलोड कर दिए हैं और OAMS को access दी है, तो वे सीधे वहां से उन दस्तावेजों को OAMS से Link कर सकते हैं।
- (iii) यदि आवेदक Digilocker के Portal के माध्यम से Proceed नहीं करना चाहते हो तो Browser के Back (←) Button पर Click करने के उपरान्त Online Application का Portal खुल जायेगा। Online Application Portal पर Login Credentials Enter करते हुए आगे की प्रक्रिया पूर्ण करेंगे।

#### **C. INSTRUCTIONS FOR PROFILE CREATION:-**

प्रोफाइल निर्माण के लिए छह चरण हैं। वे इस प्रकार हैं:-

Step 1: Personal Information (व्यक्तिगत जानकारी)

Step 2: Address Information (पता संबंधी जानकारी)

Step 3: Other Information (अन्य जानकारी)

Step 4: Qualification Information (योग्यता संबंधी जानकारी)

Step 5: Experience Information (अनुभव संबंधी जानकारी)

Step 6: Upload Photo / Signature and Profile Lock (अपलोड फोटो/हस्ताक्षर प्रोफाइल लॉक)

**Step 1: व्यक्तिगत जानकारी :** इस चरण में आवेदक को कुछ अनिवार्य जानकारी भरना होगा, जैसे स्वयं की जाति और श्रेणी विवरण (UR, EWS, BC, EBC, SC एवं ST)। आवेदक को अपनी किसी भी प्रकार की दिव्यांगता, खेलों का विवरण, भूतपूर्व सैनिक, NCC कैडेट, सरकारी कर्मचारी से संबंधित जानकारी देनी होगी। अंत में आवेदक को save बटन पर Click करना होगा।

**Step 2: पता संबंधी जानकारी :** इस चरण में आवेदक को अपना स्थायी पता भरना होगा, जैसे उसका पता, राज्य, जिला और पिन कोड। फिर आवेदक को पत्राचार का पता देना होगा। यदि स्थायी पता पत्राचार के पते के समान है, तो आवेदक Same as Above पर Click कर सकता है। अंत में, आवेदक को save बटन पर Click करना होगा।

**Step 3: अन्य जानकारी :** इस चरण में यदि आवेदक के खिलाफ चल रहे कोई भी आपराधिक कार्यवाही या सजा का विवरण है तो उसे भरना होगा। अंत में, आवेदक को save बटन पर Click करना होगा।

**Step 4: योग्यता संबंधी जानकारी :** इस चरण में आवेदक को अपनी शैक्षणिक योग्यता का विवरण दर्ज करना होगा। आवेदक कम से कम 10वीं एवं बारहवीं से आगे तक जानकारी प्रदान कर सकता है। इस चरण में शैक्षणिक योग्यता (ड्रॉप-डाउन में उपलब्ध विकल्प में से चुनना होगा), शैक्षणिक योग्यता का नाम, विषय, राज्य, बोर्ड/विश्वविद्यालय, शैक्षणिक योग्यता की स्थिति (Completed or Appearing), शैक्षणिक योग्यता की उत्तीर्णता की तिथि, प्रयास (Attempt), प्राप्त अंक, कुल अंक, प्रतिशत (उन विश्वविद्यालय के अनुसार जहाँ आवेदक ने अध्ययन किया है), शैक्षिक महीनों की संख्या, वर्ग या श्रेणी, मोड (Distance or Regular), अनिवार्य विषय,

वैकल्पिक विषय, सीट या रोल संख्या और उत्तीर्णता का वर्ष अंकित करना होगा। एक योग्यता का विवरण पूरा भर लेने के पश्चात् Add बटन पर Click करके Save करना सुनिश्चित करें। अंत में आवेदक को save बटन पर Click करना होगा।

**Step 5: अनुभव संबंधी जानकारी :** इस चरण में यदि आवेदक के पास कोई प्रासंगिक कार्य अनुभव है, तो उसे हाँ पर क्लिक करना होगा अन्यथा नहीं पर Click करें। यदि आवेदक हाँ का चुनाव करते हैं, तो आवेदक को अपने कार्यानुभव का विवरण (वर्तमान/पूर्व), नियोजन का प्रकार, विभाग जहां वे कार्यरत हैं/थे, बिहार सरकार के अन्तर्गत संस्थान का नाम, पदनाम, ग्रेड पे, मूल वेतन एवं किस तिथि से कार्यरत हैं, का विवरण अंकित करना होगा। एक कार्य अनुभव का विवरण पूरा भर लेने के पश्चात् Add बटन पर Click करके Save करना सुनिश्चित करें। अंत में आवेदक को save बटन पर Click करना होगा।

**Step 6: फोटो एवं हस्ताक्षर एवं प्रोफाइल लॉक:** इस चरण में आवेदक को एक वेब कैमरा की आवश्यकता होगी, जिससे वे अपना लाइव फोटो कैप्चर करेंगे उसके बाद आवेदक को एक अंग्रेजी और एक हिंदी हस्ताक्षर अपलोड करना होगा। हस्ताक्षर फोटो का आकार 20kb से अधिक नहीं होना चाहिए एवं Width 150–220 Pixel के बीच और Height 250–320 Pixel के बीच होनी चाहिए एवं उसके बाद Save बटन पर Click करना होगा। अंत में आवेदक को check-box पर Click करके इस बात की पुष्टि करनी होगी कि प्रदान की गई सभी जानकारी सही है एवं उसके बाद आवेदक Submit और Lock Profile पर Click करना होगा।

नोट:—

- (i) One Time Registration (OTR) के उपरान्त Profile Tab के अन्तर्गत भरी गयी प्रविष्टियों में यदि कोई त्रुटि हो तो अभ्यर्थी अपने Profile को Unlock करते हुए त्रुटिपूर्ण सूचनाओं को सही करते हुए Update कर सकते हैं।
- (ii) Profile Creation के बाद संबंधित विज्ञापन के अन्तर्गत आवेदन Submit कर देने के उपरान्त आवेदन में अंकित किसी सूचना में संशोधन का प्रावधान नहीं है। Lock Profile पर Click करने के बाद Profile Lock होने के बाद ही आवेदक को Active Advertisements की लिस्ट New Advertisement Tab के अन्दर देखेंगे।
- (i) Profile Lock होने के बाद अगर किसी विज्ञापन के लिए Apply कर देते हैं, तो उस विज्ञापन में दिये गये किसी भी प्रविष्टि (Details) में कोई भी सुधार/परिवर्तन नहीं होगा।

#### **D. INSTRUCTIONS FOR NEW APPLICATION**

- (i) आवेदक का Profile Create होने के बाद New Application Tab में सारी On going/Active Advertisements दिखेगा, जिसमें View Button पर Click करने के बाद Check Advertisement Criteria पर Click करते हुए आगे की प्रक्रिया पूर्ण करेंगे एवं Submit & Pay Fees पर Click करके Payment की प्रक्रिया पूर्ण करेंगे।
- (ii) Application Form एवं Payment की प्रक्रिया पूर्ण होने पर My Account Tab पर Click करने के बाद आवेदक द्वारा Apply किये गये Advertisements दिखेंगे, जिसके Action Column में Application Form Print, Cancel Application, Pay Now (अगर Payment नहीं हुआ है), Payment History का विकल्प उपलब्ध होगा।
- (iii) यदि किसी आवेदक के Application Form में किसी भी प्रकार की त्रुटि होती है, तो वे अपना आवेदन Cancel करके नए सिरे से Application Form भरना सुनिश्चित करेंगे।

नोट:— Application Form Cancel करने के बाद कोई भी भुगतान वापस नहीं किया जायेगा।

ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु आवश्यक (विस्तृत) निर्देश का अक्षरशः अनुपालन नहीं करने पर एवं ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में अभ्यर्थी द्वारा की गयी प्रविष्टि में किसी प्रकार की त्रुटि के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होगा।

ऑनलाइन आवेदन में भरे गये सूचनाओं का मूल प्रमाण-पत्र/अंक पत्र से मिलान करने के क्रम में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर उम्मीदवारी रद्द कर दी जायेगी।

- (iv) अभ्यर्थी का नाम, जन्म तिथि, कोटि, परीक्षा शुल्क इत्यादि से संतुष्ट होने के उपरान्त ही ऑनलाइन शुल्क जमा करेंगे।
- (v) ऑनलाइन आवेदन में अंकित E-mail Id एवं Mobile Number को सुरक्षित रखना आवेदक की जिम्मेवारी होगी। इसे वे अंतिम परीक्षाफल प्रकाशन तक सुरक्षित रखेंगे। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में अपने ही कार्यरत मोबाईल नम्बर एवं ई-मेल आईडी0 अंकित करेंगे। किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य व्यक्ति का मोबाईल नम्बर एवं ई-मेल आईडी0 अंकित नहीं करेंगे।
- (vi) इन्टरनेट या बैंकिंग व्यवधान के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा। अतः अभ्यर्थी अंतिम तिथियों का इंतजार नहीं करेंगे एवं उसके पूर्व ही सभी प्रक्रिया पूरी कर लेंगे।
- (vii) अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन करते समय अपनी स्पष्ट (अच्छी) तस्वीर Webcam के माध्यम से खींच कर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।

- (viii) अभ्यर्थी हिन्दी एवं अंग्रेजी में हस्ताक्षर स्कैन कर ऑनलाइन आवेदन में निर्धारित स्थान में अपलोड करेंगे। उम्मीदवार संतुष्ट हो लेंगे कि अपलोड किया गया हिन्दी एवं अंग्रेजी हस्ताक्षर का इमेज सुस्पष्ट है।
- (ix) इस प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने वाले इच्छुक अभ्यर्थियों को यह भी निर्देश दिया जाता है कि अद्यतन फोटोग्राफ की चार प्रतियाँ वे अपने पास सुरक्षित रखेंगे, ताकि आवश्यकता पड़ने पर या आयोग द्वारा मांगे जाने पर उसे उनके द्वारा जमा किया जा सके।

#### E. MY ACCOUNT TAB

- (i) यदि किसी आवेदक को अपना पासवर्ड Change करना है, तो आवेदक My Account Tab में उपलब्ध विकल्प से कर सकता है।
- (ii) यदि आवेदक उस समय परीक्षा शुल्क जमा नहीं करना चाहता है, तो आवेदक शुल्क आवेदन करने की अंतिम तिथि तक जमा कर सकते हैं। उस समय, आवेदक को My Account Tab में जाना होगा, फिर उस टैब में शुल्क जमा करने का विकल्प है।
- (iii) ऑनलाइन आवेदन भरने एवं हार्ड कॉपी डाउनलोड करने के बाद **Profile** में किया गया कोई भी परिवर्तन मान्य नहीं होगा।
- (iv) ऑनलाइन भुगतान में किसी प्रकार का इन्टरनेट व्यवधान/गलत भुगतान/असफल भुगतान (Unsuccessful Payment/Transaction Status Failure/Transaction Status Pending) के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा तथा अभ्यर्थी को सुधार हेतु अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा।
- (v) आवेदक यह भी सुनिश्चित कर लें कि डाउनलोड किये गये आवेदन की हार्ड कॉपी के प्रत्येक पृष्ठ पर **Application Number, Application ID एवं Bar Code** अंकित है। हार्ड कॉपी पर **Application Number, Application ID एवं Bar Code** में से किसी एक के अंकित नहीं होने पर भी आवेदन पूर्ण रूप से भरा नहीं माना जाएगा एवं आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा।
- (vi) इसके अतिरिक्त विज्ञापन से संबंधित वर्णित सभी प्रमाण पत्र अंतिम रूप से भरे गये ऑनलाइन आवेदन को My Account Tab से डाउनलोड कर हार्ड कॉपी अवश्य सुरक्षित रखेंगे। उक्त निर्देश का अनुपालन नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की अर्हता के संबंध में निर्णय लेने हेतु आयोग स्वतंत्र रहेगा।

**Note:-** यदि आवेदक को **OTR एवं Application Form** भरने में कोई शिकायत है, तो **Grievance Tab** में उसका विवरण दे सकते हैं।

#### 11. महत्वपूर्ण निर्देश :-

- अंतिम रूप से भरे गये ऑनलाइन आवेदन को सबमिट करने के बाद अभ्यर्थी उसी समय पुनः My Account Tab पर Click करेंगे, तत्पश्चात् Action के अन्दर View Option पर Click करने पर Application Print का Option दिखेगा जहाँ से भरे हुए आवेदन की दो प्रति निश्चित रूप से डाउनलोड कर प्रिंट करेंगे। विज्ञापन से संबंधित सभी प्रमाण पत्र/कागजात की प्रति अवश्य सुरक्षित रखेंगे। आयोग द्वारा किसी भी समय या आवश्यकता अनुसार मांगे जाने पर उम्मीदवार को उक्त हार्ड कॉपी एवं सभी संबंधित मूल प्रमाण-पत्र निश्चित रूप से प्रस्तुत करना होगा।
12. आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरने मात्र से ही उनकी अभ्यर्थिता सुनिश्चित नहीं मानी जायेगी। अभ्यर्थियों की अर्हता के संबंध में अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत कागजातों के आधार पर अंतिम निर्णय लिया जायेगा।
13. शैक्षिक योग्यता संबंधी प्रमाण-पत्र वही मान्य होंगे, जिनका उल्लेख उम्मीदवार ने अपने मूल आवेदन-पत्र में किया है।
14. इस विज्ञापन से संबंधित सभी सूचनाएँ आयोग के वेबसाइट [www.bpsc.bihar.gov.in](http://www.bpsc.bihar.gov.in) पर प्रकाशित की जाएगी, समाचार पत्रों में अलग से प्रकाशन अपेक्षित नहीं होगा।
15. उपर्युक्त विज्ञापन से संबंधित ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तृत निर्देश आयोग के वेबसाइट [www.bpsc.bihar.gov.in](http://www.bpsc.bihar.gov.in) पर प्रदर्शित है। इस विज्ञापन के लिए निर्धारित ऑनलाइन आवेदन से अलग, मुद्रित, टंकित, हस्तलिखित आवेदन स्वीकार्य नहीं किये जायेंगे, साथ ही अपूर्ण, अस्पष्ट, अहस्ताक्षरित तथा विलम्ब से प्राप्त आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिये जायेंगे तथा परीक्षा शुल्क भुगतान किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जायेगा।
16. आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन में सभी प्रविष्टियाँ सावधानी से भरी जाए। भविष्य में किसी प्रकार का परिवर्तन/सुधार मान्य नहीं होगा। किसी भी प्रकार की त्रुटि हेतु आयोग उत्तरदायी नहीं होगा एवं कोई भी प्रतिकूल परिणाम हेतु आवेदक स्वयं जिम्मेवार होंगे।



परीक्षा नियंत्रक,  
बिहार लोक सेवा आयोग, पटना।